

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 200
TO BE ANSWERED ON 21.12.2023

Deaths of tigers in tiger reserves

*200. SHRI SUSHIL KUMAR MODI:

Will the Minister of ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE be pleased to state:

- (a) the number and name of tiger reserves having zero or one tiger only;
- (b) the details of the number of tiger deaths during the last three years, State-wise and year-wise;
- (c) the reasons for tiger deaths viz., due to accident, conflict, poaching, etc;
- (d) the number of cases recorded regarding seizure of tiger body parts since 2019; and
- (e) the number of cases of poaching registered and people arrested, State-wise and year-wise?

ANSWER

MINISTER FOR ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
(SHRI BHUPENDER YADAV)

(a), (b), (c), (d) & (e):- A statement is laid on the Table of the House.

**STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a), (b), (c), (d) & (e) OF THE
RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 200 ON DEATHS OF TIGERS IN
TIGER RESERVES DUE FOR REPLY ON 21.12.2023**

(a) As per the 5th cycle of the All India Tiger Estimation, 2022, 5 tiger reserves namely the Sahyadri, Satkosia, Kawal, Dampa and Kamlang Tiger Reserves recorded no tigers while 7 tiger reserves recorded one tiger each namely Buxa, Namdapha, Mukundra Hills, Ramgarh-Vishdhari, Palamau, Udanti-Sitanadi and Indravati Tiger Reserves.

(b) As reported by States, the details of tiger deaths over the last three years is as follows:

State	2020	2021	2022
Andhra Pradesh	1	1	3
Assam	6	6	6
Bihar	1	4	2
Chhattisgarh	1	4	3
Goa	4	0	0
Jharkhand	1	0	0
Karnataka	12	14	19
Kerala	10	6	7
Madhya Pradesh	29	42	34
Maharashtra	16	29	28
Odisha	0	0	2
Rajasthan	3	1	5
Tamil Nadu	8	4	3
Telangana	0	4	0
Uttar Pradesh	9	9	3
Uttarakhand	4	3	6
West Bengal	1	1	0
Total	106	128	121

(c) Deaths due to natural causes, unnatural causes not attributable to poaching and poaching over the last three years are as follows :

Year	Natural causes	Unnatural not poaching	Poaching
2020	60.38%	3.77%	28.30%
2021	53.70%	20.37%	12.96%
2022	37.78%	28.89%	22.22%

(d) As reported by States, the number of tiger body part seizures over the last three years is as follows:

Year	Seizures
2019	10
2020	4
2021	7

2022	5
2023 (as on 15.12.2023)	3

- (e) The details of poaching cases are given at (c). The day to day management and implementation of the Wildlife (Protection) Act is done by the States. Information on persons arrested on account of tiger poaching is not collated at Project Tiger Division / National Tiger Conservation Authority level.

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *200
21.12.2023 को उत्तर के लिए

बाघ अभयारण्यों में बाघों की मौत

*200. श्री सुशील कुमार मोदी :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) ऐसे बाघ अभयारण्यों की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं जहां कोई बाघ नहीं है या केवल एक ही बाघ है;
- (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान कितने बाघों की मृत्यु हुई, तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) बाघों की मौतों के लिए जिम्मेदार कारकों जैसे दुर्घटना, संघर्ष, अवैध शिकार आदि के क्या कारण हैं;
- (घ) वर्ष 2017 से आज की तारीख तक बाघ के शरीर के अंगों की जब्ती के कितने मामले दर्ज किए गए हैं; और
- (ड.) अवैध शिकार के दर्ज मामलों और गिरफ्तार लोगों की संख्या का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री

(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क),(ख),(ग),(घ) और (ड.): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

‘बाघ अभयारण्यों में बाघों की मौत’ के संबंध में श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा दिनांक 21.12.2023 को उत्तर के लिए पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *200 के भाग (क),(ख),(ग),(घ) और (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): अखिल भारतीय बाघ संख्या अनुमान, 2022 के 5वें चक्र के अनुसार, 5 बाघ रिजर्वों नामतः सहयाद्रि, सतकोसिया, कावल, डम्पा और कमलांग बाघ रिजर्वों में बाघों की कोई संख्या दर्ज नहीं की गई जबकि 7 बाघ रिजर्वों नामतः बक्सा, नामडफा, मुकुंद्रा हिल्स, रामगढ़-विषधारी, पलामू, उदंती-सीतानदी तथा इंद्रावती बाघ रिजर्वों में प्रत्येक में एक-एक बाघ पाया गया।

(ख): जैसाकि राज्यों द्वारा सूचित किया गया है, गत तीन वर्षों में बाघों की मौत का ब्यौरा निम्नवत् है:

राज्य	2020	2021	2022
आंध्र प्रदेश	1	1	3
असम	6	6	6
बिहार	1	4	2
छत्तीसगढ़	1	4	3
गोवा	4	0	0
झारखंड	1	0	0
कर्नाटक	12	14	19
केरल	10	6	7
मध्य प्रदेश	29	42	34
महाराष्ट्र	16	29	28
ओडिशा	0	0	2
राजस्थान	3	1	5
तमिलनाडु	8	4	3
तेलंगाना	0	4	0
उत्तर प्रदेश	9	9	3
उत्तराखंड	4	3	6
पश्चिम बंगाल	1	1	0
कुल	106	128	121

(ग): गत तीन वर्षों में प्राकृतिक कारणों, अप्राकृतिक कारणों, जिनमें अवैध शिकार शामिल नहीं हैं, तथा अवैध शिकार के कारण होने वाली मौतों का ब्यौरा निम्नवत् है:

वर्ष	प्राकृतिक कारण	अप्राकृतिक कारण जिसमें अवैध शिकार शामिल नहीं	अवैध शिकार
2020	60.38%	3.77%	28.30%
2021	53.70%	20.37%	12.96%
2022	37.78%	28.89%	22.22%

(घ): जैसाकि राज्यों द्वारा सूचित किया गया है, गत तीन वर्षों में बाघों के अंगों की जब्ती के मामलों की संख्या निम्नवत् है:

वर्ष	जब्ती के मामले
2019	10
2020	4
2021	7
2022	5
2023 (15.12.2023 तक)	3

(ड): अवैध शिकार के मामलों का ब्यौरा (ग) में दिया गया है। राज्यों द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, का दैनिक प्रबंधन तथा कार्यान्वयन किया जाता है। बाघों के अवैध शिकार के मामलों में गिरफ्तार लोगों से संबंधित सूचना बाघ परियोजना प्रभाग/राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के स्तर पर नहीं रखी जाती है।

श्री सुशील कुमार मोदी: सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि वर्ष 2020 में 106, वर्ष 2021 में 128 और वर्ष 2022 में 121 टाइगर्स की मौत हुई। मैंने आज एनटीसीए की वेबसाइट पर देखा कि 146 tigers dead in nine months which is highest in the last 11 years. यानी, इस साल के नौ महीनों में मरने वाले टाइगर्स की संख्या 146 पहुँच गई है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में टाइगर्स की मृत्यु का कारण क्या है? माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में एक और बात कही है कि नैचुरल कारणों से जो मृत्यु हुई हैं, वे 60 से घटकर 37 परसेंट हो गईं। इसका मतलब है कि 37 परसेंट डेथ्स नैचुरल कारणों से हुई हैं तथा अननैचुरल और पोटिंग से 63 परसेंट डेथ्स हुई हैं। मैं केवल यही जानना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में टाइगर्स की डेथ्स का क्या कारण है और सरकार उसको रोकने के लिए क्या प्रयास कर रही है?

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, so near but so far.

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय सभापति जी, उत्तर तो आपको देखकर देना होता है, सदस्य जी की दूरी महत्व नहीं रखती है।

MR. CHAIRMAN: It is a very healthy practice. Please take note of it.

श्री भूपेन्द्र यादव: धन्यवाद, सभापति जी। माननीय सदस्य ने टाइगर्स की मृत्यु के बारे में जो प्रश्न पूछा है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो National Tiger Conservation Authority (NTCA) है, उसके द्वारा एक SOP बनाया जाता है। किसी भी टाइगर की अगर डेथ हो जाती है, तो उस SOP के अंतर्गत उसका पूरा एक डेटाबेस रखा जाता है, जिसमें राज्य सरकार की रिपोर्ट और टाइगर की डेथ के कारणों को इंगित किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी जब किसी टाइगर की डेथ होती है, तो जो third party sources हैं, उनसे भी confirmation की जाती है। उसकी एक पूरी प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत यह पता चलता है कि वह नैचुरल डेथ हुई है या पोटिंग से डेथ हुई है। हम यह भी जानते हैं कि अभी जिस प्रकार से मानवीय आबादी का दबाव पड़ रहा है, उसके कारण ट्रेन या सड़क के एक्सिडेंट्स भी कुछ टाइगर्स की डेथ्स के कारण बने हैं। इन सबको रोकने के लिए हम समय-समय पर लगातार अपनी गाइडलाइंस भी जारी करते हैं। उसके साथ, देश में हमारी जो टाइगर कंजर्वेशन की सबसे बड़ी सफलता हुई है, उसके पीछे कारण यह है कि उनका जो core area है, उसमें ज्यादा दबाव न आए, उसके लिए हम वहाँ से गाँवों के रिलोकेशन के लिए भी काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर NTCA को appreciate भी करना चाहूँगा कि उन्होंने उसमें बहुत बड़ी सफलता भी पाई है, ताकि ह्यूमन आबादी का जो प्रेशर है, वह टाइगर्स पर न आ पाए।

एक और विषय भी है - कई बार हमें लगता है कि टाइगर habitat में जो टाइगर है, वह केवल territory की रक्षा नहीं करता है। अभी NTCA ने एक ऐटलस प्रकाशित किया है कि भारत के जो 53 टाइगर रिज़र्व्स हैं, उनमें बहुत बड़ी संख्या में नदियाँ भी निकलती हैं, tributaries भी निकलती हैं। यह एक तरह से हमारी tributary की भी रक्षा है, इसलिए हम जो पूरे कोर एरिया को

संभाल कर रखते हैं, उसका अर्थ यह है कि टाइगर कंज़र्वेशन के साथ वहां बायो डायवर्सिटी, बाकी स्पीशीज़ भी हैं, इसलिए इसको मेन्टेन रखने के लिए हम पूरा प्रयास करते हैं। जो डेथ के कारण हैं, उस पर हम लोग एसओपी करते हैं और इसको हम अपनी वेबसाइट पर अपडेट करके रखते हैं, ताकि इसमें एक निष्पक्षता का विषय रहे और हम जो टाइगर कंज़र्वेशन और हमारी बायो डायवर्सिटी को कंज़र्व और प्रिज़र्व करने का कार्य करते हैं, उसको समुचित तरीके से कर सकें, इसलिए उसमें डेथ के कारण एसओपी की मान्यता के अंतर्गत ही करते हैं।

श्री सुशील कुमार मोदी: महोदय, मेरे दूसरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि 5 टाइगर रिज़र्व ऐसे हैं, जहां एक भी टाइगर नहीं है और 7 टाइगर रिज़र्व ऐसे हैं, जहां केवल एक-एक टाइगर है, लेकिन इन टाइगर रिज़र्व की जो ग्रेडिंग की गई है, जिसको management-effective evaluation कहते हैं, उसमें उनको good का दर्जा दिया गया है। जब एक भी टाइगर नहीं है, तो उनको good का दर्जा दिया गया, fare का दर्जा दिया गया और बांधवगढ़, जहां 135 टाइगर्स हैं, उनको भी good या very good का दर्जा दिया गया! मैं माननीय मंत्री जी से यह स्पष्ट जानना चाहूंगा कि evaluation का क्या तरीका है? जहां 135 टाइगर्स हैं, वह good या very good के दर्जे में है और जहां एक भी टाइगर नहीं है, उस टाइगर रिज़र्व को management-effective evaluation के अनुसार good या fare के दायरे में रखा गया है।

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने सही प्रश्न पूछा है। इसका कुछ हिन्ट मैंने अपने पूर्व उत्तर में भी दिया है। यह जो पूरा habitat area है, टाइगर के साथ-साथ हमारी tributary, हमारी बायो डायवर्सिटी, वहां के ईको-सिस्टम में जो नैचुरल सिस्टम है, इस पूरे habitat को हम देखते हैं। माननीय सदस्य ने जिन 5 टाइगर रिज़र्व के बारे में बताया है, मैं मानता हूँ कि फिलहाल की जो हमारी गणना है, उसमें सह्याद्री, सतकोसिया, कवल, डम्पा और कमलांग टाइगर रिज़र्व हैं, इन टाइगर रिज़र्व में इस समय टाइगर के चिन्ह नहीं देखे गए हैं। हमारे जो 53 टाइगर रिज़र्व हैं, ये आपस में एक कॉरीडोर के साथ भी जुड़े हुए हैं। एक समय में पलामू में हमारे पास कोई टाइगर नहीं था, लेकिन आज पलामू में हमारे टाइगर्स बढ़े हैं। एक समय हम ऐसी स्थिति में थे कि पन्ना में हमारा जो टाइगर रिज़र्व था, उसमें टाइगर्स खत्म होने की कगार पर थे, आज पन्ना में हमारे सबसे अच्छे टाइगर रिज़र्व आए हैं। अगर किसी क्षेत्र में टाइगर नहीं पाया जा रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वहां की बायो डायवर्सिटी, वहां का ईको-सिस्टम, वहां का pray area, वह जो बाकी सारा इश्यु है, जो ईको-सिस्टम का मैनेजमेंट है, उसे नहीं देखते। जब भी हम किसी टाइगर रिज़र्व को ग्रेडेशन देते हैं, तब टाइगर के साथ-साथ बाकी चीजें भी देखते हैं, जैसे उसका ईको-सिस्टम कैसा है, उस ईको-सिस्टम को हमने किस प्रकार से मेन्टेन करके रखा है, क्योंकि यह ईको-सिस्टम अपने आपमें हमारी धरोहर है। मैं यह बताना चाहूंगा कि इस समय जो हमारा बक्सा का टाइगर रिज़र्व है, नमदाफा, मुकंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी राजस्थान में है, पलामू और इंद्रावती का जो टाइगर रिज़र्व है, इनमें एक समय कुछ जगह टाइगर्स कम भी हुए, लेकिन आज हम वापस टाइगर्स को वहां बसाने या उसके प्रजनन को बढ़ाने में कामयाब हुए हैं। इसलिए केवल यह मान लेना कि आज टाइगर्स नहीं हैं - कल निश्चित रूप से कॉरीडोर के माध्यम से या जहां हमारे टाइगर्स की आबादी ज़्यादा भी हो जाती है, वहां भी हम relocate करते हैं,

लेकिन उसके बसने की संभावना, बायो डायवर्सिटी की संभावना, जंगल की सघनता, जंगल का विविधिकरण, जंगल की जैव विविधता और जंगल का जो बाकी ईको-सिस्टम है, वह किस प्रकार से है, वह हमारी ग्रेडिंग का आधार होता है और इस ग्रेडिंग को हम बहुत transparent manner में करते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी लोग हैं, वे इसको पूरी तरह से देखकर खरे और अच्छे मानकों पर सिद्ध करें। हम इस बात पर गर्व भी करते हैं कि हमारे देश में 53 टाइगर रिजर्व्स हैं और पिछले 9 वर्षों में, जब माननीय प्रधान मंत्री जी ने 50 years of tiger conservation मनाया था, तब इस देश में टाइगर्स की संख्या पर्याप्त बढ़ी है। आज दुनिया के 70 प्रतिशत टाइगर्स भारत में पाए जाते हैं।

श्री बाबू राम निषाद: सभापति महोदय, मैं ऐसे विषयों पर आपका, सरकार और माननीय मंत्री जी का संज्ञान दिलाना चाहता हूँ कि एक ऐसा पौधा 'बिलायती बबूल', जो बहुत हानिकारक है, वह ऐसे वन क्षेत्रों पर फैलता है, जहां उपजाऊ घास रहती है। वहां उस वन क्षेत्र में पशु-पक्षी नहीं रह पाते हैं, वे मैदानी क्षेत्रों पर जाते हैं और वहां उनकी हत्या कर दी जाती है। इस बिलायती बबूल द्वारा ऐसे ढेर सारे क्षेत्र रोपित कर दिए गए हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं। इसको हटाकर ऐसे वन क्षेत्रों पर फलदार वृक्ष लगाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। यही मेरा प्रश्न है।

श्री सभापति: माननीय मंत्री जी। आप इस पर भी प्रकाश डालें कि यह 'विलायती' नाम कैसे पड़ा - कब पड़ा, कैसे पड़ा?

श्री भूपेन्द्र यादव: महोदय, यह बात सच है कि कुछ इस प्रकार की species हैं, जो हमारी native species में नहीं आती हैं। किसी न किसी कारण से वे species हमारे जंगल में आ गईं और जिस प्रकार से कीटाणु फैलते हैं, उस प्रकार से उनकी संख्या बढ़ी है। चूंकि वे हमारी species नहीं थीं, वे बाहर से आई थीं, चूंकि वे native नहीं थीं, इसलिए मुझे लगता है कि साधारण बोलचाल की भाषा में उनको 'बिलायती' कहा जाता है।

श्री सभापति: मैंने इसलिए पूछा कि घास के बारे में बहुत चर्चा होती थी।

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय सदस्य ने अपनी जो आशंका व्यक्त की है, वह एकदम सही है। हमारे जंगल के कुछ क्षेत्रों में लगातार ये species बढ़ती हैं, बिलायती बबूल या जिसको हम Lantana भी कहते हैं, उसके कारण हमारे जंगल का एक बड़ा क्षेत्र घिर जाता है। उनके बारे में हमें ध्यान में नहीं होता है, लेकिन वहां का जो bio-diversity system है, उसमें वह गतिरोध भी उत्पन्न करते हैं। हर forest area में और विशेष रूप से जो reserve forest area है, वहां का एक forest management plan बनाया जाता है। फील्ड ऑफिसर उस प्लान को स्वीकृति देते हैं। उस स्वीकृति के अंतर्गत इस प्रकार का जो बढ़ा हुआ एरिया होता है, उस बढ़े हुए एरिया में उसको निकालने का कार्य करते हैं। चूंकि जंगल में पहाड़ बहुत दूर तक है, वहां सड़क भी नहीं होती है, उसको किस प्रकार से निकालकर दोबारा से वह बीज न पनपे, उसके लिए भी वे लोग स्थायी

व्यवस्था का काम करते हैं। अभी एक विषय हम लोगों ने शुरू किया है। हमारे साउथ में जो इस प्रकार की species हैं, तो बांदीपुरा के जंगल में वहां की soliga tribes हैं, उन्होंने एक अच्छा विषय शुरू किया है। उन्होंने उसके species को निकालकर उससे फर्नीचर बनाने का, अच्छी आर्ट की चीजें बनाने का काम किया है। इसको कुछ जगहों पर बाकी भी निकालकर permanent हटाने का काम किया जा रहा है। यह बहुत सीमित प्रयोग है। हमारे फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अधिकारियों के द्वारा फील्ड स्तर पर इसका निर्णय लिया जाता है, उसको निकालने का काम करते हैं, क्योंकि जंगल के लिए हमारी एक बड़ी चुनौती है, जिसका हम समाधान करने में लगे हैं।

सभा के नेता (श्री पीयूष गोयल): महोदय, मैं जब डॉक्टर के पास गया था, तो मुझे बताया गया कि मुझे congress grass से एलर्जी है। हमारे मंत्री जी इस पर कुछ प्रकाश डालें कि congress grass से एलर्जी कैसे होती है?

श्री सभापति: जहां मंत्री जी की पढ़ाई हुई है और जिस प्रांत में पढ़ाई हुई है, वहां भी यह एक व्यापक चुनौती थी। इसके बारे में मंत्री जी को पूरी जानकारी है। आप मंत्री जी से अकेले में बात कर लीजिए। आपको इलाज भी बता देंगे।

श्री पीयूष गोयल: अगर मंत्री जी सबको ज्ञान दें, तो अच्छा होगा।

MR. CHAIRMAN: It is for the hon. Minister to respond.

श्री भूपेन्द्र यादव: मैं सभापति के निर्देशों का पालन करूंगा। मैं माननीय सदस्य से अकेले में बात करूंगा।

SHRI PABITRA MARGHERITA: Sir, my question to the hon. Minister is: What are the rules and regulations framed or steps taken for ease of commercial tree plantation by the people in general?

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

श्री भूपेन्द्र यादव: महोदय, हम लोगों ने व्यावसायिक वन रोपण के लिए कुछ species को और कुछ पौधों को पूरी तरह से मान्यता दी है। Agro-forestry को बढ़ाने के लिए हम पूरे तरीके से प्रतिबद्ध हैं। Agro-forestry के अंतर्गत जो सबसे बड़ी चुनौती आती है, वह यह है कि जब agro-forestry में किसी एक पेड़ को काटते हैं, तो उसको दूसरी जगह तक ले जाते हैं, जो transit करते हैं, उसको transit करने के लिए हर राज्य की अलग-अलग परमिशन लेनी पड़ती है। इसके कारण इसकी commercial viability नहीं आती है और इसलिए अब हमारे मंत्रालय ने इसको सुविधा देने के लिए एक नेशनल लेवल पर ट्रांजिट प्लान का प्रोग्राम बनाया है। इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों ने अपने राज्य से दूसरे राज्य में लकड़ी के आवागमन के प्रतिबंध को एक तरीके से मुक्त किया है।

सर, agro-forestry एक बहुत बड़ा विषय है, जिसके कारण हमें लकड़ी के आयात करने पर डिपेंड रहना पड़ता है और इसके कारण कई जगह सघन जंगल भी कट जाते हैं। जो National Transit Plan System शुरू किया गया है, यह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है और commercial तथा agro-forestry के संबंध में जो नियम लगाए गए हैं, वे भी मंत्रालय की वेबसाइट पर पूरी तरह से उपलब्ध हैं।

MR. CHAIRMAN: Shri Niranjan Bishi.

SHRI NIRANJAN BISHI: Chairman, Sir, I would like to know from the hon. Minister that what steps the Ministry is taking to redress the challenges posed by deforestation and habitat loss for wildlife conservation.

श्री भूपेन्द्र यादव: सभापति महोदय, मैंने अपने पूर्व प्रश्न में भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, उनके बारे में बताया है। जहां पर वनों को काटे जाने पर वापस से ग्रीन प्रोग्राम के अंतर्गत, फॉरेस्टेशन प्रोग्राम के अंतर्गत, CAMPA प्रोग्राम के अंतर्गत, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वनों के संवर्धन करने का कार्य किया जाता है। भारत सरकार के द्वारा हर दो वर्ष में एक बार Forest Survey of India के द्वारा पूरे फॉरेस्ट का सर्वेक्षण किया जाता है और उस फॉरेस्ट सर्वेक्षण के द्वारा हम यह तय करते हैं कि हमारे सघन वन या fragmented वन हैं, क्योंकि हमारे यहां पर वनों की तीन तरह की कैटेगरी है। वह किस प्रकार के वनों के कैटेगरी है, one, flora and fauna कैसा है और फिर स्थानीय स्तर पर हमारे Forest Management Plan के द्वारा उनके संवर्धन, संरक्षण और विकास के कार्य को किया जाता है।

MR. CHAIRMAN: Question No. 201.